

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई०ए०एस०

GCMS No. 2021 / 259
Manual no- 116/2021

(Bank Case)

कैन फिन होम्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 29/1, तृतीय तल, श्री एम.एन. कृष्णा राव रोड़, बसावनगुडी, बैंगलोर-560004 एवं शाखा कार्यालय- 1-सी - 18,एस.एफ.एस., प्रथम तल, आगे की ओर शीला चौधरी रोड़, तलवण्डी, कोटा राजस्थान-324005 जरिये प्राधिकृत अधिकारी संजय कुमार सैनी
- प्रार्थी /सिक्वोर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री लक्ष्मी कान्त शर्मा पुत्र श्री हरिश चन्द शर्मा (ऋणी/अप्रार्थीगण)
पता- गांधी जी की पोल, लालबुर्ज, श्रीपुरा, कोटा (राज.)
2. श्रीमति राधा शर्मा पत्नि श्री लक्ष्मी कान्त शर्मा (गारन्टर)
पता- गांधी जी की पोल, लालबुर्ज, श्रीपुरा, कोटा (राज.)
प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्वोरिटीजेशन रिकसट्रक्शन आफ फाईनेशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्वोरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री अमर सिंह नरुका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 17-1/-2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि कैन फिन होम्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 29/1, तृतीय तल, श्री एम.एन. कृष्णा राव रोड़, बसावनगुडी, बैंगलोर-560004 एवं शाखा कार्यालय- 1-सी -18,एस.एफ.एस., प्रथम तल, आगे की ओर शीला चौधरी रोड़, तलवण्डी, कोटा राजस्थान से अप्रार्थी/ऋणी को 14,00,000 (अक्षरे: रूपये चोदह लाख मात्र) ऋण राशि दिनांक 09.05.2019 व 6,00,000 (अक्षरे: रूपये छः लाख मात्र) ऋण राशि दिनांक 13.05.2019 को, इस प्रकार कुल ऋण 20,00,000 /-(अक्षरे: रूपये बीस लाख मात्र) लिया था । अप्रार्थी ऋणी द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के ऐवज में ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति श्री लक्ष्मी कान्त शर्मा की सम्पत्ति जो कि प्लॉट नं. 830 कार्नर, विवेकानन्द नगर, कोटा (राज.) में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 499 वर्ग फिट है। जो जर्ज विक्रय पत्र दिनांक 16.09.2013 से श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा पुत्र स्व० श्री हरिश चन्द शर्मा एवं श्रीमती राधा शर्मा के नाम है। सीमाएं- पूर्व में- प्लॉट नं. 829, पश्चिम में- रोड़, उत्तर में-अन्य का मकान, दक्षिण में- रोड़, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक 31.01.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी उसके खाते मे 21,29,957 /-(अक्षरे रूपये इक्कीस लाख उनतीस हजार नो सौ सतावन मात्र।) बकाया रकम दिनांक 04.04.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के तहत दिनांक 05.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीयसंस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 05.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 05.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता अचल सम्पत्ति श्री लक्ष्मी कान्त शर्मा की सम्पत्ति जो कि प्लॉट नं. 830 कार्नर, विवेकानन्द नगर, कोटा (राज.) में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन, एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप लगभग 499 वर्ग फिट है। जो जय विक्रय पत्र दिनांक 16.09.2013 से श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा पुत्र स्व0 श्री हरिश चन्द शर्मा एवं श्रीमती राधा शर्मा के नाम है। सीमाएं— पूर्व में— प्लॉट नं. 829, पश्चिम में— रोड, उत्तर में—अन्य का मकान, दक्षिण में— रोड, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 17-11-2021 को सुनाया गया ।

3-17/11/21
(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)